

गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों पर लगे प्रभावी अंकुश : मुख्यमंत्री

नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त एक्शन लें, विशेष अभियान चलाएं : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रभावी अंकुश लगाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए इससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला के रूट का चिन्हिकरण करते हुए विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना के तहत कार्रवाई की जाए तथा छोटे-बड़े सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए पुलिस, ड्रप्स कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक ली।

समन्वित प्रयास करें। साथ ही, उन्होंने नशे के प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी पैरवी के संबंध में निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा अपराध की जड़ है तथा समाज व परिवारों पर इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए नशे के दुष्परिणामों के संबंध में विद्यालयों और महाविद्यालयों

में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जुड़कर पॉक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनों के संबंध में आमजन को जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध प्राथमिकता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में साइबर अपराध की घटनाएं घटित हो

रही है, वहां इनसे जुड़े गिरोहों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। ये अभियान तब तक चले, जब तक संबंधित क्षेत्र में ऐसे अपराध जड़ से समाप्त नहीं हो जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले दो वर्षों में अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध

■ **मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए**

■ **प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर अपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश**

कार्रवाई की प्रगति की प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर मॉनिटरिंग की जाए। इन मामलों में कोताही बरतने पर जिम्मेदारी तय की जाए। शर्मा ने कहा कि डिजिटल युग में अपराध भी हाइटेक होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस भी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए मॉडर्न पुलिसिंग को अपनाएं।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, विभिन्न जिलों से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से जुड़े।

मुख्यमंत्री कल देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब

जयपुर (कासं)। राजस्थानविधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बहस का समय एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार की जगह 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे।

इस संबंध में मंगलवार को हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएससी) की बैठक में सदन के कामकाज को नए सिरे से तय किया गया। बीएससी के फैसले की जानकारी सरकारी मुख्य सचैतक जोगेन्द्र गर्ग ने सदन में दी। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का जवाब 4 फरवरी को आना था, लेकिन अब 4 और 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी। इसके बाद 5 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब देंगे।

बीएससी के निर्णय के अनुसार 6 फरवरी से 10 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी और इस दौरान सदन की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा।

पाँक्सो कानून में‘रोमियो-जूलियट’के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार की घटनाओं को लेकर कहा कि “रोमियो और जूलियट” के बढ़ते मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता इस बात की है कि वर्तमान कानून बलात्कार और किशोर अवस्था में सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में विफल है। इसमें सहमति के मामले में अठारह वर्ष की आयु पर जोर दिया है, इससे निकट के मामलों को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा है। एक मामला तो ऐसा भी आ चुका, जिसमें आयुसीमा एक घंटा ही कम थी। कानून अजमान ने “पीडित” को एक श्रेणी तैयार करना है, जो भागकर शादी करने के कारण स्वयं को पीड़ित नहीं मानती। न्याय प्रणाली बाल संरक्षण की वास्तविकता के बजाय माता-पिता की अस्वीकृति से संचालित होती है और विवेकाधिकार नहीं होने के न्यायपालिका युवा वयस्कों को अपराधी मानने के लिए मजबूर है।

न्यायाधीश अनिल उपमन ने 19

■ **अदालत ने कहा कि “चिंता इस बात की है कि वर्तमान कानून बलात्कार और किशोर अवस्था में सहमति से बने संबंधों के बीच अंतर करने में विफल है। इसमें सहमति के मामले में 18 वर्ष की आयु पर जोर दिया है, इससे निकट के मामलों को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा है।”**

साल के युवक की याचिका मंजूर कर उसे राहत दी। कोर्ट ने कहा कि देशभर में पोक्सो के तहत दर्ज मामलों में एक बड़ा हिस्सा रोमियो-जूलियट प्रकृति का है, जहां दो किशोरों या एक किशोर- एक युवा के आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। ऐसे जोड़े भी शामिल हैं जो शादी करने का इरादा रखते हैं या पहले से रिश्ते में होते हैं। वर्ष 2012 से पहले ऐसे मामले अपराध की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन अब लड़की की सहमति के बावजूद अपराध है और उसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है। कानून का मशीनी अंदाज में प्रयोग बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के बजाय युवाओं के अनावश्यक जेल और दोनों पक्षों के

लिए सामाजिक कलंक का कारण बनता है। कानून बनाने वालों का इरादा सख्त कानून बनाकर उन युवा वयस्कों को परेशान करना नहीं रहा होगा, जो सामाजिक स्वीकार्यता के विपरीत सहमति से रिश्ते बना रहे हैं। इसने न्यायिक विवेकाधिकार सीमित कर दिया, जिससे हिंसक इरादा नहीं होने के बावजूद कोर्ट के पास न्याय देने बहुत कम गुंजाइश बची है। इससे कानून अनजाने में किशोरों की स्वायत्तता को अपराध बनाकर युवाओं को जघन्य अपराधियों जैसी सजा दिला रहा है, यह स्पष्ट अन्याय है।

कोर्ट ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द करते हुए कहा

कि ऐसे मामले में आंख नहीं मूंदी जा सकती। जब पीड़िता आरोपी को बेगुनाह बताती है और मेडिकल रिपोर्ट भी पक्ष में होती है तो सामाजिक मर्यादा के हथियार के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा में राज्यहित और निजता व व्यक्तिगत पसंद के संवैधानिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। इसके बिना कानूनी व्यवस्था किशोर प्रेम को अपराधीकरण करने के दुष्पक्र में फंसी रहती है।

‘पुलिस-ट्रायल कोर्ट ने मशीनरी काम किया’

महज उन्नीस वर्ष के याचिकाकर्ता युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद कम से कम बीस वर्ष की सजा है। कठोर और निर्मम वैधानिक व्याख्या के नाम पर पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया जाता है। ऐसा दृष्टिकोण भारतीय न्यायशास्त्र के सुधारवादी नजरिए को कमजोर करता है। कानून को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वह युवाओं के विनाश का साधन बन जाए। 19 साल के युवा के खिलाफ 17 साल की किशोरी का अपहरण कर पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने मशीन की तरह काम किया, जबकि युवती ने मर्जी से घर से जाने और कोई जबरदस्ती नहीं होने, सहमति से संबंध बनाने की बात कही।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में ऐसा प्रावधान हो जो न्यायपालिका को तथ्यों व परिस्थितियों के हिसाब से दवा करने का अवसर दे। इसके अलावा युवाओं के अनावश्यक अपराधीकरण को रोक जा सकेगा। जब तक विधायिका ऐसा संतुलित तंत्र प्रदान नहीं करती, तब तक कानून की भावना के विपरीत न्याय करने के लिए न्यायालयों पर ऐसे मामलों का बोझ बनी रहेगा। यह न्यायिक समय की बर्बादी और युवा जीवन का विनाश होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में ऐसा प्रावधान हो जो न्यायपालिका को तथ्यों व परिस्थितियों के हिसाब से न्याय करने का अवसर दे। इसके अलावा युवाओं के अनावश्यक अपराधीकरण को रोक जा सकेगा। जब तक विधायिका ऐसा संतुलित तंत्र प्रदान नहीं करती, तब तक कानून की भावना के विपरीत न्याय करने के लिए न्यायालयों पर ऐसे मामलों का बोझ बनी रहेगा। यह न्यायिक समय की बर्बादी और युवा जीवन का विनाश होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में ऐसा प्रावधान हो जो न्यायपालिका को तथ्यों व परिस्थितियों के हिसाब से न्याय करने का अवसर दे। इसके अलावा युवाओं के अनावश्यक अपराधीकरण को रोक जा सकेगा। जब तक विधायिका ऐसा संतुलित तंत्र प्रदान नहीं करती, तब तक कानून की भावना के विपरीत न्याय करने के लिए न्यायालयों पर ऐसे मामलों का बोझ बनी रहेगा। यह न्यायिक समय की बर्बादी और युवा जीवन का विनाश होगा।

याचिकाकर्ता साल 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में चयनित हुई थी। उनकी एनटीटी योग्यता को बीएसटीसी के समकक्ष नहीं मानकर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। वहीं मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में आने पर अदालत ने 6 जनवरी, 2022 को आदेश जारी कर एनटीटी योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स करावाकर नियुक्ति दी जाए।

राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद विधानसभा में हंगामा, 2 बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा था कि “राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर डोकलाम विवाद उठाया, जो गलत है”

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा मचा। विपक्ष के विधायकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वेल में उतरकर विरोध जताया, इस दौरान हंगामे और पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी।

दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चल रही बहस के दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, वे बिना प्रकाशित हुई किताब का हवाला देकर बेवजह आरोप लगा रहे हैं और उनमें इतना विवेक नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तत्काल आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका उल्लेख विधानसभा में नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की।

टीकाराम जूली की आपत्ति के बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। शोर-शराबा बढ़ने पर सभापति ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा

■ **कृपलानी ने यह भी कहा कि “इस राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन वे देश के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि राहुल गांधी ऐसा करते हैं। वे विदेशों में जाकर देश पर सवाल उठाते हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं।”**

■ **कांग्रेस विधायकों ने कृपलानी की इस टिप्पणी के बाद वेल में उतरकर नारेबाजी की और विरोध जताया। उन्होंने इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपित करने की मांग रखी, जिसे बाद में आसन ने स्वीकार कर लिया**

श्रीचंद कृपलानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि, राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर डोकलाम विवाद उठाया, जो गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें लोकसभा का स्पीकर की बात माननी चाहिए। कृपलानी ने यह भी कहा कि इस विधानसभा में कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन वे देश के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि राहुल गांधी ऐसा करते हैं। वे विदेशों में जाकर देश पर सवाल उठाते हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं।

कृपलानी के इस बयान पर कांग्रेस विधायकों का आक्रोश और बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष ने इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की।

‘वन्य जीवों के हमले में मौत पर 10 लाख रु. मुआवजा देने की तैयारी’

जयपुर (विसं)। वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर अब सरकार 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। बाड़ी (धौलपुर) से भाजपा विधायक जसवंत गुर्जर के सवाल के जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जारी आदेश के तहत मानव, वन्य जीव संघर्ष से होने वाली मौत पर अभी 5 लाख का मुआवजा मिलता है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने सदन को बताया कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि धौलपुर-करोली बाघ अभयारण्य में आने वाले गांवों के निवासियों को उनकी सहमति के बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा। कि अभयारण्य के तहत आने वाली बंजर भूमि पर यदि कोई ग्रामवासी खेती कर रहा है, तो इस संबंध में विभागीय नियमों में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। धौलपुर-करोली में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) के लिए उच्चतम न्यायालय के

■ **‘धौलपुर-करोली बाघ अभयारण्य में आने वाले गांवों के लोग मर्जी बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा’**

आदेशानुसार समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इसके उपरान्त ही सीटीएच का निर्धारण किया गया है।

उन्होंने बताया कि अलवर स्थित सरस्का टाइगर रिजर्व में दो बाघिनों के बीच हुए संघर्ष में एक बाघिन की घायल होने से मृत्यु हो गयी, जिसका नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाकर विधिवत रूप से सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया गया है। इससे पहले विधायक जसवंत गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में धौलपुर-करोली में सीटीएच के तहत आने वाले गांव में स्वीच्छिक विस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है।

कफ सिरप से मौत के मामलों में चिकित्सक दोषी नहीं : खींवरस

■ **स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवरस ने कहा कि “कफ सिरप मामले में ज्यादा मौतें नहीं हुईं। दो, चार-पांच ही मौतें हुई हैं। माता-पिता जो दवा लेकर आए वही कफ सिरप का डोज बच्चों को दे दी। उसमें कोडीन जैसे कई केमिकल होते हैं। कफ सिरप के ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं।”**

जयपुर (विसं)। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरस ने मंगलवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि प्रदेश में कफ सिरप से विभागीय चिकित्सक की सलाह से ली गई दवा से किसी की भी मौत होने का मामला सामने नहीं आया है। जबकि कफ सिरप के ओवरडोज एवं साथ में अन्य बीमारियों के चलते कुछ बच्चों की मौत हुई। खींवरस ने प्रश्नकाल में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली एवं विधायक हरिमोहन शर्मा के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवरस ने कहा कि कफ सिरप मामले में ज्यादा मौतें नहीं हुईं। दो, चार-पांच ही मौतें हुई हैं। माता-पिता जो दवा लेकर आए वही कफ सिरप का डोज बच्चों को दे दी। उसमें कोडीन जैसे कई केमिकल होते हैं। कफ सिरप के ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं। दवाई की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप से प्रदेश में हुई मौतों के किसी भी मामले में विभागीय चिकित्सक द्वारा दवा के लिए चिकित्सकीय पर्चा नहीं लिखा गया था। जांच में सामने आया कि माता पिता द्वारा दो साल के बच्चे

को बिना चिकित्सकीय सलाह के कफ सिरप दिया गया तथा दवा की ओवरडोज के चलते बच्चे की मृत्यु हो गई। अन्य मामलों में साथ में अन्य बिमारियां (कोमॉरिबिडिटी) के चलते बच्चों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि इन मामलों में चिकित्सक की सलाह से दवा नहीं ली गई, ऐसे में चिकित्सक दोषी नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवरस ने कहा कि कफ सिरप कांग्रेस राज के समय से ही चलती आ रही है। 2014 से ही यही दवा चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री खुद मान रहे हैं कि ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं। यह कंपनी कई जगह ब्लैकलिस्ट हुई है, हो सकता है पहले ठीक हो और बाद में खराब हो गई हो।इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रो दवा योजना में ओपीडी बढ़ने के बावजूद खर्चा कम होने और कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले पर सवाल उठाए।

भूमाफिया कहीं विधानसभा तोड़कर अंदर नहीं आ जाए : रफीक खान

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आदर्श नगर के कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर में भूमाफिया के सफ़ाई जमीनों पर कब्जे करने का मामला उठाया। रफीक खान ने कहा कि जयपुर शहर में भूमाफिया जगह- जगह सरकारी जमीनों

पर कब्जा कर रहे हैं। जेडीए प्लैट्स स्क्रीम की दीवार तोड़कर 300 मीटर तक अंदर आ गए, वहां दीवार बना ली। फिर भी जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे तो कई बार डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भूमाफिया विधानसभा की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाएं।

कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई। हंगामे के दौरान कृपलानी ने यह भी कहा कि इससे पहले डोटोसरा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की गई थी, जिसे कार्यवाही से नहीं हटाया गया। उन्होंने सवाल किया कि उनका टिप्पणी में ऐसा क्या है, जिसे हटाया जाए। इस पर विपक्ष ने और विरोध जताया। लगातार बढ़ते हंगामे के चलते सभापति ने शाम 4 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी माहौल शांत नहीं होने पर कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। सदन में दिनभर राजनीतिक गर्मी बनी रही।

अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही : खींवरस

जयपुर (कासं)। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि खान विभाग सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सतर्कता से कार्य कर रहा है। खींवरस प्रश्नकाल में विधायक केसाराम चौधरी के पूरक प्रश्नों का खान एवं पेट्रोलियम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पाली जिले में खान विभाग द्वारा गत तीन वर्षों (एक अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2025) में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कुल 67 प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें 49 प्रकरणों में पैन्टली वसुली गई है और 18 प्रकरणों में वसुली की कार्यवाही प्रक्रियाबीन है। पाली में बजरी माफियाओं के खिलाफ भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पाली में बजरी खनन के लिए 511 लीज ताली 54 क्वारी लाइसेंस चल रहे हैं। इससे पहले चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने पाली में स्वीकृत खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस का खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंसधारियों के नाम सहित स्थानवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

‘10 साल से ज्यादा से काम करने वालों को नियमित करने पर क्या किया?’

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम कमिश्नर को 6 फरवरी को शपथ पत्र सहित यह बताने के लिए कहा है कि उनके यहां पर 10 साल से ज्यादा समय से पारिश्रमिक पर काम करने वालों को नियमित करने पर क्या किया। यह भी बताएं कि कितने ड्राइवर नगर निगम में सेवाएं देने से अपने तय वेतनभार पर काम कर रहे हैं।

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश इमरान की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि 13 नवंबर 2025 को नगर निगम कमिश्नर को इन दोनों बिन्दुओं पर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था। नगर निगम कमिश्नर गौतव सैनी ने अदालती निर्देश पर 26 नवंबर को अपना शपथ पत्र पेश किया। इसमें कहा था

कि नगर निगम का कर्मचारियों के साथ सीधा कर्मचारी व नियोक्ता का संबंध नहीं है। वहीं ड्राइवर कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगाए गए हैं।

ऐसे में यह सत्यापन करना मुश्किल है कि कितने कर्मचारी दस साल से ज्यादा समय से नगर निगम के साथ में नियमित तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा कि कर्मचारियों को नियुक्ति देने व नियमित करने की शक्तियां डीएलबी को ही हैं और वही नियुक्ति व नियमितिकरण की हायर ऑथोरिटी है।

अदालत ने कहा कि नगर निगम कमिश्नर की ओर से दिए गए शपथ पत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत मुद्देय करए गए प्रावधानों का हवाला नहीं दिया था। इन प्रावधानों के बिना ही उसने शपथ पत्र दिया है। ऐसे में वह खुद ही आकर अदालत की ओर से मांगी गई जानकारी बताएं।